कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–271/ १२५० रायपुर, दिनांक २२/05/2022

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर
छत्तीसगढ़

विषयः– **Diversion of Additional 94.293 Ha. Revenue Forest Land of Gevra OC Expansion Project of M/s South Eastern Coalfields Limited for Coal Mining in Korba District of Chhattisgarh.**
(Registration No. FP/CG/MIN/41389/2019 dated 05-11-2019)

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त के पत्र क्रमांक/तक./1298 दिनांक 11.05.2023

--000--

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने करें जिसके द्वारा मेसर्स एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा, वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत गेवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 94.293 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव 04 प्रतियों मे अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

नोडल कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव में निम्नानुसार कमियां पाई गयी है:–

ऑन लाईन कमियां

1. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र 188.586 हे. होता है जबकि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 190.00 हे. लिया गया है जो 1.414 हे. अधिक है। अतएव वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 188.586 हे. वन भूमि का चयन कर वेब साईट पर अपलोड़ करें।
2. फार्म–ए के पार्ट–2 के बिन्दु क्रमांक 13 में अपलोड़ मानचित्र वन मंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया हैं।
3. फार्म–ए के पार्ट–2 के बिन्दु क्रमांक 7 एवं प्रपत्र–3 के बिन्दु (vi) में दूरी 10 कि.मी. से अधिक लेख किया गया है। दोनो जानकारी में विसंगति है जिसे सुधार कर एकजाई जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड़ करें।
4. फार्म–ए के पार्ट–2 के बिन्दु क्रमांक 13 में निरीक्षण प्रतिवेदन भाग–2 एवं प्रपत्र–3 को एक ही फारमेट में तैयार कर अपलोड़ किया गया है।
5. फार्म–ए के पार्ट–2 के अतिरिक्त जानकारी में आवेदित राजस्व वन क्षेत्र हेतु कलेक्टर का एन.ओ.सी. वेब पार्टल पर अपलोड़ नहीं किया गया है।
6. प्रस्ताव के साथ आवेदत क्षेत्र एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट संलग्न नहीं है।

ऑफ लाईन कमियां

1. वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र वन मंडलाधिकारी, कटघोरा वन मंडल के हस्ताक्षर नहीं है।
2. व्यवस्थापन प्लान वन मंडलाधिकारी / मुख्य वन संरक्षक एवं जिला कलेक्टर द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है, न ही महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल के हस्ताक्षर है।
3. रिक्लेमेशन प्लान वन मंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है, न ही महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल के हस्ताक्षर है।

4. चेक लिस्ट क्रमांक–33 15 कि.मी. परिधि के संलग्न नक्शे में वन मंडलाधिकारी एवं महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. के हस्ताक्षर नहीं है।

5. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र 188.586 हे. होता है जबकि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 190.00 हे. लिया गया है जो 1.414 हे. अधिक है। अतः 1.414 हे. अधिक क्षेत्र का राशि जमा करने का वचन–पत्र अथवा रकबा 188.586 हे. का संशोधित 10 वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण अद्यतन दर से तैयार कर संलग्न करें।

उपरोक्तानुसार ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन कमियों की पूर्ति हेतु ई.डी.एस. किया जा रहा है। अतः कमियों की पूर्ति कर जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–271/ १२५१ रायपुर, दिनांक २८/05/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. **वन मंडलाधिकारी**, कटघोरा वन मंडल, कटघोरा, छत्तीसगढ़।
2. **मुख्य महा प्रबंधक**, साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड, गेवरा क्षेत्र, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़